International Journal for Multidisciplinary Research
Plagiarism & Intellectual Property Rights in Digital Age (PIPRDA-2023)
E-ISSN: 2582-2160 ● Website: www.ijfmr.com ● Email: editor@ijfmr.com

बौद्धिक सम्पदा के विविध अधिकार और आर्थिक लाभ

डॉ.प्रकाश पगारे

सहायक प्राध्यापक अर्थशास्त्र, माखनलाल चतुर्वेदी शासकीय, कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय खंडवा म.प्र.

बौद्धिक संपदा अधिकार वे विधिक अधिकार है, जो मानवीय बुद्धि के उत्पादों के उपयोग को विनियमित करते है। इन अधिकारों का उद्देश्य एक निश्चित अवधि तक अधिकार स्वामी के स्पष्ट अनुमोदन के बिना किसी अन्य व्यक्ति द्वारा संरक्षित विषय-वस्तु का लाभ उठाने का मना करना है। बौद्धिक संपदा अधिकार लेखकों, आविष्कारों आदि की बुद्धि जनिति रचनात्मक और आविष्कारशील क्रियाकलापों को प्रोत्साहित, संवर्धित एवं संरक्षित करता है और गुणवत्तायुक्त माल और सेवाओं के विपणन को सरल बनाते हुए उपभोक्ताओं के हितों का भी संरक्षण करता है।

इस प्रकार से बौद्धिक संपदा अधिकारों के अंतर्गत उन सभी विचारों, व्यवहार, ज्ञान, गोपनीय जानकारी इत्यादि को संरक्षण प्रदान किया जाता है। जो वाणिज्यिक तौर पर मूल्यवान होते है।

सामण्ड के अनुसार," वे अभौतिक वस्तुएं बौद्धिक संपदा है जो विधि द्वारा मानव प्रवीणता और श्रम के अभौतिक उत्पाद के रूप मे मान्यता प्राप्त करती है।

ब्लैक स्टोन के अनुसार," अन्य मूर्त संपत्तियों की भांति बौद्धिक संपदा, जिसका स्वरूप अमूर्त होता है, को राज्य के विधि के माध्यम से संपत्ति कक सामान्य व्याख्या के अंतर्गत मान्यता प्रदान की है।"

बौद्धिक संपदा अधिकार के प्रकार

कॉपीराइट

इस अधिकार के अंतर्गत किताबें, चित्रकला, मूर्तिकला, सिनेमा, संगीत, कंप्यूटर प्रोग्राम, डाटाबेस, विज्ञापन, मानचित्र और तकनीकी चित्रांकन को सम्मिलित किया जाता है। कॉपीराइट के अंतर्गत दो प्रकार के अधिकार दिये जाते हैं) :क(**आर्थिक अधिकार:** इसके तहत व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति द्वारा उसकी कृति का उपयोग करने के बदले वित्तीय पारितोषिक दिया जाता है।) ख(**नैतिक अधिकार:** इसके तहत लेखक/रचनाकार के गैर-आर्थिक हितों का संरक्षण किया जाता है।

पेटेंट

जब कोई आविष्कार होता है तब आविष्कारकर्त्ता को उसके लिये दिया जाने वाला अनन्य अधिकार पेटेंट कहलाता है। एक बार पेटेंट अधिकार मिलने पर इसकी अवधि पेटेंट दर्ज़ की तिथि से 20 वर्षों के लिये होती है। आविष्कार पूरे विश्व में कहीं भी सार्वजनिक न हुआ हो, आविष्कार ऐसा हो जो पहले से ही उपलब्ध किसी उत्पाद या प्रक्रिया में प्रगति को इंगित न कर रहा हो तथा वह आविष्कार व्यावहारिक अनुप्रयोग के योग्य होना चाहिये, ये सभी मानदंड पेटेंट करवाने हेतु आवश्यक हैं। ऐसे आविष्कार) जो आक्रामक, अनैतिक या असामाजिक छवि को उकसाते हों तथा ऐसे आविष्कार जो मानव या जीव-जंतुओं में रोगों के लक्षण जानने के लिये प्रयुक्त होते हों (को पेटेंट का दर्जा नहीं मिलेगा।

ट्रेडमार्क

एक ऐसा चिन्ह जिससे किसी एक उद्यम की वस्तुओं और सेवाओं को दूसरे उद्यम की वस्तुओं और सेवाओं से पृथक किया जा सके, ट्रेडमार्क कहलाता है।ट्रेडमार्क एक शब्द या शब्दों के समूह, अक्षरों या संख्याओं के समूह के रूप में हो सकता है। यह चित्र, चिन्ह, त्रिविमीय चिन्ह जैसे संगीतमय ध्वनि या विशिष्ट प्रकार के रंग के रूप में हो सकता है।

औद्योगिक डिज़ाइन

भारत में डिज़ाइन अधिनियम, 2000 के अनुसार, 'डिज़ाइन' से अभिप्राय है- आकार, अनुक्रम, विन्यास, प्रारूप या अलंकरण, रेखाओं या वर्णों का संघटन जिसे किसी ऐसी वस्तु पर प्रयुक्त किया जाए जो या तो द्वितीय रूप में या त्रिविमीय रूप में अथवा दोनों में हो।

भोगोलिक संकेतक

* संकेतक से अभिप्राय उत्पादों पर प्रयुक्त चिह्न से है। इन उत्पादों का विशिष्ट भौगोलिक मूल स्थान होता है और उस मूल स्थान से संबद्ध होने के कारण ही इनमें विशिष्ट गुणवत्ता पाई जाती है।
* विभिन्न कृषि उत्पादों, खाद्य पदार्थों, मदिरापेय, हस्तशिल्प को भौगोलिक संकेतक का दर्जा दिया जाता है। तिरुपति के लड्डू, कश्मीरी केसर, कश्मीरी पश्मीना आदि भौगोलिक संकेतक के कुछ उदाहरण हैं।
* भारत में वस्तुओं का भौगोलिक संकेतक अधिनियम, 1999 बनाया गया है। यह अधिनियम वर्ष 2003 से लागू हुआ। इस अधिनियम के आधार पर भौगोलिक संकेतक टैग यह सुनिश्चित करता है कि पंजीकृत उपयोगकर्त्ता के अतिरिक्त अन्य कोई भी उस प्रचलित उत्पाद के नाम का उपयोग नहीं कर सकता है।
* वर्ष 2015 में भारत सरकार द्वारा प्रारंभ की गई' उस्ताद योजना 'के माध्यम से शिल्पकारों के परंपरागत कौशल का उन्नयन किया जाएगा। उदाहरण के लिये बनारसी साड़ी एक भौगोलिक संकेतक है। अतः उस्ताद योजना से जुड़े बनारसी साड़ी के शिल्पकारों के सामाजिक-आर्थिक सशक्तिकरण की अपेक्षा की जा सकती है

भारत में बौद्धिक सम्पदा के अधिकार का इतिहास

भारत में बौद्धिक सम्पदा के अधिकार का पहला मामला वर्ष 1856 में प्रकाश में तब आया जब जार्ज अल्फ्रेड डे पेनिंग ने अपना पेटेंट हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया| बाद में उन्हें प्रदान किया गया पेटेंट भारत के बौद्धिक सम्पदा के अधिकार के अंतर्गत प्रदत्त प्रथम पेटेंट के रूप में जाना गया | बौद्धिक सम्पदा के अधिकार के अंतर्गत आने वाले प्रतिलिपियाधिकार का इतिप्रावधान हास भारत में सबसे पुराना है | यह अधिकार ईस्ट इण्डिया कंपनी के शासन के दौरान सन 1847 में लागू किया गया | उस समय के प्रावधानों के अंतर्गत एक पुस्तक उसके लेखक के सम्पूर्ण जीवनकाल एवं उसकी म्रत्यु के सात वर्षो तक कॉपीराइट एक्ट के अंतर्गत नियंत्रित होती थी | वर्ष 1914 में भारतीय सांसद में नया कॉपीराइट एक्ट पास किया जो कि मुख्य रूप से यूनाइटेड कीगदम के सन 1911 के कॉपीराइट एक्ट के लगभग अनुरूप था |इसके पश्चात् स्वतंत्र भारत में सन 1958 में नया 1856 कॉपीराइट एक्ट लागू किया गया | पेटेंट के द्रष्टिकोण से भारत में सन 1856 में अधिनियम पास हुआ जोकि सन 1853 में संशोधित किया गया | तत्पश्चात सन 1911 में भारतीय पेटेंट एवं डीजाइन एक्ट ने इसका स्थान लिया | बौद्धिक सम्पदा का अधिकार अधिनियम वर्ष 1920 , 1930 व वर्ष 1945 में पुन:संसोधित किया गया | स्वतंत्रता के पश्चात् भारत सरकार ने वर्ष 1949 में

लाहौर हाई कोर्ट के सेवानिवृत न्यायधीश डॉ.बक्शी टेक चंद की अध्यक्षता में पेटेंट अधिनियम की समीक्षा हेतु एक समिति बनाई ,जिसके पश्चात वर्ष 1950 में इस अधिनियम में परिवर्तन किये गये | बाद में समय समय पर आवश्यकता के अनुरूप इसमें बदलाव किये गये |भारत में ट्रेड मार्क पर वर्ष 1940 के पूर्व तक कोई भी औपचारिक कानून नहीं था |

बौद्धिक अधिकार के संरक्षण में भारत की स्थिति

*वैश्विक बौद्धिक संपदा सूचकांक-2020 में भारत 38.46% के स्कोर के साथ 53 देशों की सूची में 40वें स्थान पर रहा, जबकि वर्ष 2019 में 36.04% के स्कोर के साथ भारत 50 देशों की सूची में 36वें स्थान पर था।

सूचकांक में शामिल दो नए देशों*, ग्रीस और डोमिनिकन गणराज्य का स्कोर भारत से अच्छा है। गौरतलब है कि फिलीपीन्स और उक्रेन जैसे देश भी भारत से आगे हैं।

*हालाँकि धीमी गति से ही सही भारत द्वारा किसी भी देश की तुलना में अपनी रैंकिंग में समग्र वृद्धि दर्ज की

संधर्भ सूची

1. Gyanvati Dhakad baudhikSampada Vidhiyan (Intellectual Property Laws-Hindi) central law Publication
2. डॉ.बसंती लाल वाघेल “बौद्धिक सम्पदा कानून ”central law agency
3. Khushdeep Dharni ,Neeraj Pandey “Intellectual Property Right”